संख्या- 40 /2021/436/18-2-2021-14(9)/2021

प्रेषक

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 20 अक्टूबर, 2021

विषयः- औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों के भूखण्डों के आवंटन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8152/औ0आ0-11/2020-21, दिनांक 10 सितम्बर, 2021, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि वर्तमान में औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों के भूखण्डों के निरस्तीकरण के उपरान्त विभिन्न न्यायालयों में काफी संख्या में वाद/आर्बीट्रेशन वाद लम्बित हैं जिससे अनावश्यक रूप विभागीय अधिकारियों का समय व्यतीत होता है। इस संबंध में ऐसे उद्यमी जिनके द्वारा पूर्व में औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में आवंटित भूखण्ड पर उद्यम स्थापित न कर पाने की स्थिति में विभाग द्वारा अथवा उद्योग बन्धु द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की गयी है और कतिपय आवंटी मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके निरस्तीकरण के विरूद्ध स्थगनादेश प्राप्त हुये हैं। ऐसी स्थिति में उन औद्योगिक भूखण्डों का न तो नये सिरे से आवंटन हो पा रहा है और न ही संबंधित भूखण्डों में उद्योगों की स्थापना हो पा रही है।

3- उक्त के दृष्टिगत निम्नवत कार्यवाही किये जाने के निर्देश एतद्द्वारा द्वारा दिये जाते हैं-

(1) ऐसे सभी प्रकरणों में आवश्यक है कि यदि उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये तत्पर हों, तो उनसे शपथ-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा निर्धारित समय अवधि में उद्योग स्थापना हेतु कार्य योजना भी प्राप्त कर ली जाय। ऐसे उद्यमी यदि अपने द्वारा दाखिल किये गये वाद को वापस लेने पर सहमत हों तो उन्हें अंतिम रूप से छः माह का सशर्त समय प्रदान करते हुये उद्योगों की स्थापना हेतु प्रयास किये जायें। पुनर्बहाली उपरान्त आवंटी को दी गयी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आवंटी द्वारा उद्योग स्थापनार्थ यदि कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जाते हैं तो पुनर्बहाली आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(2) ऐसे प्रकरण, जिनमें आवंटी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल नहीं किया गया है और जिनके भूखण्ड आवंटन नियमानुसार निरस्त किये जा चुके हैं, उन्हें भी छः माह का सशर्त समय प्रदान करते हुये उद्योग स्थापनार्थ प्रयास किये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) ऐसे आवंटी, जिन्होंने भूखण्ड आवंटित कराने के साथ ही निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया है और आवंटन के अतिरिक्त किसी अन्य भूखण्ड पर भी अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उसे तत्काल निरस्त किया जाय और ऐसे अनधिकृत कब्जाधारकों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही भी की जाये।

(4) औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों के रिक्त भूखण्डों का आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से ही किया जाय तथा उसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-40/2021/436(1)/18-2-2021 -तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त उपायुक्त उद्योग उ0प्र0।
4- समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त उद्योग।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।